न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 119 / 2022 **दायर दिनांकः 28.07.2022**

रजि0 नं0—2022 / 221

उनवान

1. धन्नालाल उर्फ धनराज आयु 59 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति मेहर निवासी मनोहरपुर तहसील अटरू हाल निवासी राधाकृष्ण मन्दिर के पास कोटड़ी कोटा जिला कोटा (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर. टी. एक्ट

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

निर्णय **दिनांक 24 / 07 / 2023**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मनोहरपुर पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 109 का ख.नं. 264 का रकबा 0.02 हे0., ख.नं. 319 का रकबा 0.08 हे0, ख.नं. 482 कुआ का रकबा 0.01 गै.मु. चाह, ख. नं. 483 का रकबा 0.75 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.86 हेक्टर आराजी एवं ग्राम एवं माल रामपुरिया पटवार हल्का कुन्जैड़ की खाता संख्या 12 का ख. नं. 5 का रकबा 1.92 हे0 आराजी वादी की चाची स्व0 मोत्या उर्फ कवरी पत्नि कालू उर्फ काल्या जाति मेहर निवासी मनोहरपुर के खाते दर्ज स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। मृतक मोत्या उर्फ कंवरी ने उसके पुत्र पुत्रियां नही होने के कारण मोत्या उर्फ कंवरी के जीवनकाल से उसकी सेवा सुश्रुवा व मोत्या उर्फ कंवरी के खाते की उक्त आराजी को काश्त वादी ही करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर वादी ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है। मोत्या उर्फ कंवरी ने वादी की सेवा सुश्रुवा से प्रसन्न होकर उसके जीवनकाल में उसके स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का वसीयत

नामा 20/– रूपये के स्टाम्प पर रूबरू गवाहन व सरपंच ग्राम पंचायत जीरोद की उपस्थिति में दिनांक 18.01.2005 को आलेखित की थी तथा दिनांक 13.06.2005 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी की वसीयत रूबरू गवाहन नोटरी पब्लिक से वादी के पक्ष में तस्दीक करवाई थी तथा वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत उप पंजीयक अटरू के यहां दिनांक 14.06.2005 को वादी के पक्ष में पंजीयन कराई थी कि कंवरी उर्फ मोत्या के 100 वर्ष पूरे होने पर वादी धन्नालाल उर्फ धनराज ही उक्त वर्णित आराजी का एकमात्र अधिकारी होगा। तीनों वसीयत नामा की प्रतिया साथ में संलग्न है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी मोत्या उर्फ कंवरी के दर्ज खाता स्थित है। वसीयतकर्ता मोत्या उर्फ कंवरी की मृत्यु दिनांक 28.11.2007 को ग्राम मनोहरपुर में हो चुकी है। मृतक मोत्या उर्फ कवरी के समस्त क्रियाक्रम एवं गंगाजल की रसोई भी वादी द्वारा ही की गई है। मृतक मोत्या उर्फ कंवरी के शोक सन्देश में भी शोक संतप्त के रूप में भी धन्नालाल का नाम अंकित है। इसलिए खातेदार मोत्या उर्फ कंवरी के खाते दर्ज आराजी पर वसीयत नामा के आधार पर वादी खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी व नॉलिसी है। शोक सन्देश की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाना सम्भव नही है। यदि वादी को खातेदार कृषक घोषित नही किया गया तो यादी अपने कब्जे काश्त एवं हक अधिकारों से वंचित हो जायेगा तथा सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पावेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तु वादी को बाद पत्र की मंद नं. 1 में वर्णित आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे। वाद कारण प्रथम दिनांक 25.06.2022 को वादी द्वारा अप्रार्थी को वसीयत नामा के आधार पर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का अपने पक्ष में नामान्तकरण खोलने का प्रार्थना पत्र देने पर तथा अन्तिम बार अप्रार्थी द्वारा दिनांक 20.07.2022 को न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम मनोहरपुर एवं रामपुरिया तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जयें जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० प्रेषित करवा दिया है लेकिन मोत्या उर्फ कवरी के स्वामित्व की आराजी पर वादी का नाम दर्ज नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित होने के कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा०दी० के साथ माननीय न्यायालय में वाद

प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का प्रार्थना पत्र 80 (2) जा० दी० स्वीकार फरमाया जाकर वादी के बाद की नियमित रूप से सुनवाई की जावे । राजस्थान सरकार भूमिधारी होने तथा वाद खातेदारी घोषणा का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह बाद पेश किया गया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद उचित न्याय शुल्क पर एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित मोत्या उर्फ कवरी के खाते दर्ज आराजी पर वसीयत नामा के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। आदेशिका दिनांक 19.04.2023 अनुसार पेरोकार सरकार नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 धन्नालाल उर्फ धनराज पुत्र रामचन्द्र जाति मेहर निवासी मनोहरपुर तहसील अटरू हाल निवासी राधाकृष्ण मन्दिर के पास कोटड़ी कोटा जिला कोटा (राज0) का सशपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किये कि ग्राम एवं माल मनोहरपुर पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 109 का ख.नं. 264 का रकबा 0.02 हे0., ख.नं. 319 का रकबा 0.08 हे0, ख.नं. 482 कुआ का रकबा 0.01 गै.मु. चाह, ख. नं. 483 का रकबा 0.75 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.86 हेक्टर आराजी एवं ग्राम एवं माल रामपुरिया पटवार हल्का कुन्जैड़ की खाता संख्या 12 का ख. नं. 5 का रकबा 1.92 हे0 आराजी वादी की चाची स्व0 मोत्या उर्फ कवरी पत्नि कालू उर्फ काल्या जाति मेहर निवासी मनोहरपुर के खाते दर्ज स्थित है। मृतक मोत्या उर्फ कंवरी ने उसके पुत्र पुत्रियां नही होने के कारण मोत्या उर्फ कंवरी के जीवनकाल से उसकी सेवा सुश्रुवा व मोत्या उर्फ कंवरी के खाते की उक्त आराजी को काश्त वादी ही करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर

वादी ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है। मोत्या उर्फ कंवरी ने वादी की सेवा सुश्रुवा से प्रसन्न होकर उसके जीवनकाल में उसके स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का वसीयत नामा 20/—रूपये के स्टाम्प पर रूबरू गवाहन व सरपंच ग्राम पंचायत जीरोद की उपस्थिति में दिनांक 18.01.2005 को आलेखित की थी तथा दिनांक 13.06.2005 को 100/—रूपये के स्टाम्प पर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी की वसीयत रूबरू गवाहन नोटरी पब्लिक से वादी के पक्ष में तस्दीक करवाई थी तथा वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत उप पंजीयक अटरू के यहां दिनांक 14.06.2005 को वादी के पक्ष में पंजीयन कराई थी कि कंवरी उर्फ मोत्या के 100 वर्ष पूरे होने पर वादी धन्नालाल उर्फ धनराज ही उक्त वर्णित आराजी का एकमात्र अधिकारी होगा। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी मोत्या उर्फ कंवरी के दर्ज खाता स्थित है। वसीयतकर्ता मोत्या उर्फ कंवरी की मृत्यु दिनांक 28.11.2007 को ग्राम मनोहरपुर में हो चुकी है। मृतक मोत्या उर्फ कंवरी के समस्त क्रियाक्रम एवं गंगाजल की रसोई भी मेरे द्वारा ही की गई है। मृतक मोत्या उर्फ कंवरी के शोक सन्देश में भी शोक संतप्त के रूप में मेरा नाम धन्नालाल अंकित है। इसलिए खातेदार मोत्या उर्फ कंवरी के खाते दर्ज आराजी पर वसीयत नामा के आधार पर मुझे खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

Pw2 महावीर पुत्र रामप्रताप जाति अहीर निवासी मनोहरपुर का सशपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किये कि ग्राम एवं माल मनोहरपुर पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 109 का ख.नं. 264 का रकबा 0.02 हे0., ख.नं. 319 का रकबा 0.08 हे0, ख.नं. 482 कुआ का रकबा 0.01 गै.मु. चाह, ख. नं. 483 का रकबा 0.75 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.86 हेक्टर आराजी एवं ग्राम एवं माल रामपुरिया पटवार हल्का कुन्जैड़ की खाता संख्या 12 का ख. नं. 5 का रकबा 1.92 हे0 आराजी वादी की चाची स्व0 मोत्या उर्फ कवरी पत्नि कालू उर्फ काल्या जाति मेहर निवासी मनोहरपुर के खाते दर्ज स्थित है। मृतक मोत्या उर्फ कंवरी ने उसके पुत्र पुत्रियां नही होने के कारण मोत्या उर्फ कंवरी के जीवनकाल से उसकी सेवा सुश्रुवा व मोत्या उर्फ कंवरी के खाते की उक्त आराजी को काश्त वादी ही करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर वादी ही काबिज काश्त करता चला आ रहा है। मोत्या उर्फ कंवरी ने वादी की सेवा सुश्रुवा से प्रसन्न होकर उसके जीवनकाल में उसके स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का वसीयत नामा 20/—रूपये के स्टाम्प पर रूबरू गवाहन व सरपंच ग्राम पंचायत जीरोद की उपस्थिति में दिनांक 18.01.2005 को आलेखित की थी तथा दिनांक 13.06.2005 को 100/—रूपये के स्टाम्प पर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित

आराजी की वसीयत रूबरू गवाहन नोटरी पब्लिक से वादी के पक्ष में तस्दीक करवाई थी तथा वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत उप पंजीयक अटरू के यहां दिनांक 14.06.2005 को वादी के पक्ष में पंजीयन कराई थी। जिस पर गवाह के रूप में मैंने हस्ताक्षर किये थे। कंवरी उर्फ मोत्या के 100 वर्ष पूरे होने पर वादी धन्नालाल उर्फ धनराज ही उक्त वर्णित आराजी का एकमात्र अधिकारी होगा। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी मोत्या उर्फ कंवरी के दर्ज खाता स्थित है। वसीयतकर्ता मोत्या उर्फ कंवरी की मृत्यु दिनांक 28.11.2007 को ग्राम मनोहरपुर में हो चुकी है। मृतक मोत्या उर्फ कंवरी के समस्त क्रियाक्रम एवं गंगाजल की रसोई धन्नालाल उर्फ धनराज द्वारा ही की गई है। मृतक मोत्या उर्फ कंवरी के शोक सन्देश में भी शोक संतप्त के रूप में धन्नालाल उर्फ धनराज का नाम अंकित है। इसलिए खातेदार मोत्या उर्फ कंवरी के खाते दर्ज आराजी पर वसीयत नामा के आधार पर धन्नालाल उर्फ धनराज को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

4. अभिभाषक वादी की बहस एकतरफा सुनी गई। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम एवं माल मनोहरपुर पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 109 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.86 हेक्टर आराजी एवं ग्राम एवं माल रामपुरिया पटवार हल्का कुन्जैड़ की खाता संख्या 12 का ख. नं. 5 का रकबा 1.92 हे0 आराजी वादी की चाची स्व0 मोत्या उर्फ कवरी पत्नि कालू उर्फ काल्या जाति मेहर निवासी मनोहरपुर के खाते दर्ज स्थित है। मृतक मोत्या उर्फ कंवरी के कोई संतान नहीं होने के कारण उनकी जीवनकाल से ही उनकी देखभाल एवं उक्त विवादित आराजी को वादी ही काश्त एवं करता चला आ रहा है। मोत्या उर्फ कंवरी ने वादी की सेवा सुश्रुवा से प्रसन्न होकर उसके जीवनकाल में उसके स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का वसीयत नामा 20/—रूपये के स्टाम्प पर रूबरू गवाहन व सरपंच ग्राम पंचायत जीरोद की उपस्थिति में दिनांक 18.01.2005 को आलेखित की थी तथा दिनांक 13.06.2005 को 100/—रूपये के स्टाम्प पर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी की वसीयत रूबरू गवाहन नोटरी पब्लिक से वादी के पक्ष में तस्दीक करवाई थी तथा वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत उप पंजीयक अटरू के यहां दिनांक 14.06.2005 को वादी के पक्ष में पंजीयन कराई थी कि कंवरी उर्फ मोत्या के 100 वर्ष पूरे होने पर वादी धन्नालाल उर्फ धनराज ही उक्त वर्णित आराजी का एकमात्र अधिकारी होगा। वसीयतकर्ता मोत्या उर्फ कंवरी की मृत्यु दिनांक 28.11.2007 को ग्राम मनोहरपुर में हो चुकी है। मृतक मोत्या उर्फ कंवरी के समस्त क्रियाक्रम एवं गंगाजल की रसोई वादी द्वारा ही की गई है। मृतक मोत्या उर्फ कंवरी के शोक

सन्देश में भी शोक संतप्त के रूप में भी वादी का ही नाम अंकित है। इसलिए खातेदार मोत्या उर्फ कंवरी के खाते दर्ज आराजी पर वसीयत नामा के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

5. अभिभाषक वादी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम मनोहरपुर की जमाबंदी संवत 2072–75 (प्रदर्श 1) के खाता संख्या 109 की कुल किता 4 रकबा 0.86 है0 आराजी मोत्या पत्नि स्व0 कालू जाति मेहर बलाई के खाते जबकि ग्राम रामपुरिया की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2074–77 (प्रदर्श 3) के खाता संख्या 12 ख0नं0 5 रकबा 1.92 है0 आराजी कंवरी पतिन स्व0 काल्या जाति मेहर के खाते दर्ज है अर्थात दोनों खातों के खातेदार भिन्न –भिन्न है।

प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 18.01.2005 प्रदर्श 7ए के अवलोकन से जाहिर है कि वसीयतकर्ता **कंवरीबाई पत्नि कालूलाल** जाति मेहर निवासी मनोहरपुर द्वारा 20 रूपये के स्टाम्प पेपर पर चार गवाह–जानकीलाल, रामकरण, बाबूलाल, राधेश्याम व सरपंच ग्राम पंचायत जीरोद केलाशबाई के समक्ष अपनी 20 बीघा आराजी एवं एक कच्चे घर को लेकर धन्नालाल पुत्र रामचन्द्र जाति मेहर निवासी मनोहरपुर के पक्ष में लिखवाया गया था। वसीयतनामा दिनांक 13.06.2005 प्रदर्श 7 ए के अवलोकन से जाहिर है कि **कंवरीबाई बेवा कालूलाल** जाति मेहर निवासी मनोहरपुर द्वारा अपनी 20 बीघा आराजी एवं घर व बाडा को लेकर 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर धन्नालाल पुत्र रामचन्द्र जाति मेहर निवासी मनोहरपुर के पक्ष में दो गवाहो के समक्ष वसीयत लिखवाकर नोटेराइज्ड करवाया था। रजि0 वसीयतनामा दिनांक 14.06.2005 प्रदर्श 8ए के अवलोकन से जाहिर है कि मृतक खातेदार **कंवरी उर्फ मोत्या बेवा कालू** जाति मेहर बलाई निवासी मनोहरपुर तहसील अटरू द्वारा अपनी समस्त संपत्ति का धनराज पुत्र रामचन्द्र जाति मेहर निवासी मनोहरपुर के पक्ष दो गवाहन के समक्ष उप पंजीयक अटरू में वसीयत रजिस्टर करवाई गई है। उक्त रजि0 वसीयत के अन्तिम भाग पर ग्राम मनोहरपुर की आराजी खाता संख्या 15 ख0नं0 102/592 रकबा 0.06 हे0 खातेदार कंवरी बेवा कालू मेहर बलाई, खाता संख्या 101 ख0नं0 264 का रकबा 0.02 हे0., ख.नं. 319 का रकबा 0.08 हे0, ख.नं. 482 रकबा 0.01, ख. नं. 483 का रकबा 0.75 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.86 है0 खातेदार मोत्या बेवा कालू मेहर बलाई तथा ग्राम कुंजेड की खाता संख्या 22 ख0नं0 5 रकबा 1.92 हे0 खातेदार कंवरी बेवा कालू मेहर एवं मकान व अन्य सामान का अंकन है।

इस प्रकार तीनों वसीयतों में वसीयतकर्ता के नाम में भिन्नता है। वसीयतकर्ता ने पहली वसीयत 12.01.2005 को, दूसरी वसीयत 13.06.2005 को एवं तीसरी रजि0 वसीयत 14.06.2005 को

की है। पहली वसीयत में अंकित है कि पहली व दूसरी वसीयत धन्नालाल पुत्र रामचन्द्र के पक्ष में होना और तीसरी रजि0 वसीयत धनराज पुत्र रामचन्द्र के पक्ष में होना अंकित है। पहली वसीयत में वसीयतकर्ता की उम्र 90 वर्ष, दूसरी वसीयत में वसीयतकर्ता की उम्र 95 वर्ष व तीसरी रजि0 वसीयत में वसीयतकर्ता कंवरी उर्फ मोत्या की उम्र 70 साल अंकित है। तीनों दस्तावेजों में अंकित उम्र में काफी अन्तर है। एक वसीयत में कंवरीबाई पत्नी कालूलाल है तो दूसरी वसीयत में कंवरी उर्फ मोत्या पत्नी कालू दर्ज है। तीनों ही वसीयतों में गवाह भी अलग अलग है। तीन अलग अलग समय पर अलग अलग वसीयत कराये जाने का उद्धेश्य स्पष्ट नहीं है। तीनों वसीयत में विवादित आराजी के राजस्व ग्राम, खाता नं0 या ख0नं0 आदि का भी उल्लेख नहीं है, केवल 20 बीघा रकबा होना अंकित है। **कंवरीबाई पत्नी कालू और मोत्या पत्नी काल्या एक ही व्यक्ति है या अलग–अलग यह साबित नहीं है।** वादी द्वारा वाद पत्र में वसीयतनामा के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है लेकिन **राजस्व रिकार्ड में कंवरीबाई व मोत्या के नाम में शुद्धी होने से पूर्व** विवादित आराजी में उक्त वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। वादी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज/पहचान पत्र पेश नहीं किया है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि मोत्या पत्नी कालू और कंवरी पत्नी काल्या एक ही व्यक्ति है। वादी द्वारा वाद पत्र में कथन किया है कि कंवरीबाई उर्फ मोत्या दिनांक 28.11.2007 को लाऔलाद फौत हो चुकी है लेकिन **वादी द्वारा न तो कंवरीबाई या मोत्या बाई का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है और ना ही वारीसान प्रमाण पत्र या लाऔलाद फौत होने का प्रमाण पत्र पेश किया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में खातेदार कंवरी बाई या मोत्या का फौत होना भी साबित नहीं है**। वादी द्वारा कंवरीबाई का शोक संदेश और वार्ड 9 के पंच का प्रमाण पत्र पेश किया गया है। वादी द्वारा पेश ग्राम मनोहरपुर का राशन कार्ड प्रदर्श 11ए में वादी की मां का नाम नेनकी बाई उम्र 70 साल अंकित है। इसी राशन कार्ड में क्रम संख्या 4 पर कंवरी बाई उम्र 80 साल अंकित है लेकिन इनका परिवार के मुखिया धनराज यानी वादी से संबंध अंकित नहीं है। वादी द्वारा पेश जनआधार प्रदर्श 12 ए में कंवरी बाई या मोत्या बाई का नाम अंकित नहीं है। वादी **दोनों प्रमाण पत्र संदेह से परे नहीं है और ना ही वादी द्वारा इनकी प्रमाणिकता को साबित किया गया है।** अतः वादी द्वारा पेश शोक संदेश भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 5 से 55 व 136** के अधीन साक्ष्य के रूप में एडमिशीबल नहीं है। राजस्थान सरकार के पंचायतीराज विभाग द्वारा वार्ड पंच को वारीसान प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त नहीं कर रखा है। अतः वार्ड पंच वार्ड नं0 9 द्वारा जारी

प्रमाण पत्र भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 55 व 136 के अधीन साक्ष्य के रूप में एडमिशीबल नहीं है।

साक्ष्य गवाहों द्वारा विवादित आराजी पर मौके पर वादी द्वारा कब्जे काश्त होना बताया गया है लेकिन मौके पर कब्जे काश्त के संबंध में राजस्व विभाग की रिपोर्ट या मौका कमिश्नर रिपोर्ट पेश नहीं की गई है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में ग्राम मनोहरपुर की खाता संख्या 109 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.86 है0 एवं ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 12 का ख. नं. 5 का रकबा 1.92 है0 आराजी पर पेश वादी का खारिज होने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में ग्राम मनोहरपुर की खाता संख्या 109 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.86 है0 एवं ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 12 का ख. नं. 5 का रकबा 1.92 है0 आराजी पर पेश वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **24.07.2023** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 119/2022 **दायर दिनांकः 28.07.2022**

रजि0 नं0–2022/221

उनवान

1. धन्नालाल उर्फ धनराज आयु 59 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति मेहर निवासी मनोहरपुर तहसील अटरू हाल निवासी राधाकृष्ण मन्दिर के पास कोटड़ी कोटा जिला कोटा (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर. टी. एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम मनोहरपुर की खाता संख्या 109 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.86 है0 एवं ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 12 का ख. नं. 5 का रकबा 1.92 है0 आराजी पर पेश वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 24.07.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)